छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला—रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ क्रमांक 1096 दिनांक 8 AUG 2019

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05.08.19

क्रमांक एफ 10—5/2019/16 :— छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र. 25 सन् 1958) की धारा 59 की उप—धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 59 की उप—धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

Id. LC/DLC (S)/DLC (J)/ALC (T)ALC(P)
ESI/DD/AD ( ) /LO/Other
Labour Commissioner
7 AUG 2019

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 एवं 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"4. **पंजीयन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि.**— धारा 6 की उप—धारा (3) के अधीन प्रदान किया गया पंजीयन प्रमाणपत्र, नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा।

5. **पंजीयन प्रमाणपत्र हेतु शुल्क.**— धारा 6 की उप—धारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक पंजीयन प्रमाणपत्र, स्थापनाओं के उस वर्ग के लिये नीचे विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर जारी किया जायेगा—

स. क्र.	स्थापना के वर्ग	पंजीयन/ नवीनीकरण शुल्क रूपये में
1.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ कोई कर्मचारी नियोजित नहीं हैं	रू. एक सौ
2.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ 3 से अनधिक कर्मचारी नियोजित हैं	रू. एक सौ पचास
3.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ 3 से अधिक किन्तु 10 से कम कर्मचारी नियोजित हैं	रू. दो सौ
4.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं	रू. दो सौ पचास

परन्तु सभी नियोजक, जिन्होंने 25/06/2014 के पूर्व पंजीयन प्राप्त कर लिया है, इन नियमों के संशोधन के पश्चात्, अनिवार्य रूप से पंजीयन प्राप्त करेंगे।"

Guard File

2. नियम 6 में, परंतुक में, शब्द ''पंजीयन या नवीनीकरण'' के स्थान पर, शब्द ''पंजीकरण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(पी0डी0 पुरबिया)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 05.08.19

क्रमांक 10–5/2019/16 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–5/2019/16, दिनांक .... का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

NOTIFICATION

Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur, Date :- 05.08.19

No. F 10-5/2019/16 : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 59 of the Chhattisgarh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh shops and Establishments Rules 1959, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 59 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For rule 4 and 5, the following shall be substituted, namely:-

"4. **Period of validity of Registration Certificate.**- The Registration Certificate granted under sub-section (3) of Section 6 shall remain valid till the date of closure as notified by the employer.

5. **Fees for Registration Certificate**.- Every registration certificate issued under sub-section (2) of Section 6 shall be issued on payment of a fee specified below for that class of establishment-

S.No.	Class of establishment	Registration/Renewal Fees in rupees
1.	All establishments having no employees	Rs. One hundred
2.	All establishments employing not more than 3 employees	Rs. One hundred fifty
3.	All establishments employing more than 3 but less than 10 employees	Rs. Two hundred
4.	All establishments employing 10 or more than 10 employees	Rs. Two hundred fifty

Provided that all the employers who have obtained registration before 25/06/2014 shall compulsorily obtain registration after the amendment of these rules."

2. In rule 6, in proviso, for the words "registration or renewal", the word "registration" shall be substituted.

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh

(P.D. Purbiya)
Deputy Secretary,
Govt. of C.G., Labour Deptt.

KEAMS

पृष्ठांकन 10–5/2019/16 **नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक** 05.08.19

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0),
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0),
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0),
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0),
5. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
6. उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0),
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0),
8. कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0),

10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0),
11. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्राणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. गार्ड फाईल।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

KEXAMS